

प्रपत्र-3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षक/व.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1	परियोजना का नाम	220/132 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र ग्राम-नेलवाड़, जिला-नारायणपुर में विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु		
2	आवेदक/आवेदक का विभाग का नाम	कार्यपालन अभियन्ता (सिविल-पारेशन) संभाग छ.रा. वि. पारे. क. मर्यादित जगदलपुर छत्तीसगढ़		
3	गैर वनिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	220/132 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र ग्राम-नेलवाड़, जिला-नारायणपुर में विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु		
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल
		नारायणपुर	नारायणपुर	नारायणपुर वनमण्डल अंतर्गत 4.06 हे० राजस्व वन भूमि
5	वन भूमि / राजस्व वन भूमि का विस्तृत विवरण	वन खंड	कक्ष क्रमांक / ख०क्र०	रकबा हे.में आवेदित-क्षेत्र का क्षेत्रफल हे. में
	(क) सीमांकित संरक्षित वन	—	—	—
	योग :-	—	—	—
	(ख) सीमांकित आरक्षित वन	—	—	—
	योग :-	—	—	—
	(घ) राजस्व वनक्षेत्र	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा हे.में
		ग्राम नेलवाड़	24	2.42
			26	0.17
			29/1	1.47
	कुलयोग :-			4.06
6	आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	—		
7	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	प्रजाति मिश्रित, कुल वृक्ष 185		
8	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	सामान्य		
9	आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी. / वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	नहीं		
10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायोस्फियर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बाडी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 5 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ?	लागू नहीं है		

	यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	
1	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेषकर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि. मी. क्षेत्र में गैर वन क्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/ भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या	लागू नहीं है
1 2	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण देवें।	लागू नहीं है

// प्रमाण-पत्र //

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई कुल 4.06 हे. राजस्व वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल :- नारायणपुर

दिनांक :- 17/09/2016



वनमण्डलाधिकारी,
नारायणपुर वनमण्डल नारायणपुर